न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग जिला डीग(राज.)

प्रकरण संख्याः- 51/2025

पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह
(R.A.S)

उनवान

1. कश्मीर अरोडा पुत्र स्व. श्री दयानंद अरोडा
2. श्रीमति निर्मल देवी पत्नी श्री कश्मीर अरोडा } जातियान अरोडा नि0 गोबर्धन मार्ग कस्बा डीग तहसील डीग

-सायलान

बनाम

तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग(राज0)

-गैर सायल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत
धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 23.06.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 1797/0.13, 1798/0.05, 1799/0.12, 1800/0.08, 1801/0.16, 1802/0.29, 1803/0.11, 2205/1808/0.02, 2207/1816/0.05, 1804/0.07, 1805/0.15, 1807/0.30, 1809/0.27, 1815/0.12, 1817/0.05, 1818/0.07, 2206/1808/0.30, 2208/1816/0.19 वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित है। सायलान के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी वर्णित मद संख्या 03 अर्जी को गत 25-26 मई 2025 को दोनों दिन लगातार अच्छी वर्षा होने से दिनांक 28-29 मई 2025 की दरम्यानि रात में सायलान ने अपने उपरोक्त खसरा नम्बरान में ज्वार,बाजरा,मूंग,तिल,अरहर व ढैंचा बीच दिया था जो अब मौके पर उगकर सरसब्ज खडा है। जिसमें पानी सिचाई चल रही है। कस्बा डीग प्रथम के पटवारी हल्का का स्थानान्तरण हो चुका है जिस पर नवीन पटवारी श्री अमर सिंह ने उक्त हल्का का चार्ज प्राप्त किया है जोकि सायलान से रंजिश रखता है तथा उनकी बोई हुई मौके पर खडी सरसब्ज फसल को नष्ट भ्रष्ट करना चाह रहा है। तहसीलदार डीग गैर सायल संख्या 01 के किसी रिश्तेदार सगौत्रीय भाई बंधु की आराजी के पैमाईश के आदेश ले रखे थे जिसकी भनक लगी तो सायलान तहसीलदार डीग गैर सायल संख्या 01 से मिले तथा लिखित प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण उनकी आराजी की पैमाईश से सहमत नहीं है तथा खडी व बुबाई फसल की नाप का नियम भी नहीं है इसलिए उनकी भूमि की पैमाईश नहीं की जावे तब उक्त प्रार्थना पत्र भी पटवारी हल्का श्री अमर सिंह को ही सीधा ऑफिस कानूनगो द्वारा भिजवा दिया गया वह प्रार्थना पत्र प्राप्त होते ही पटवारी हल्का चिढ गया तथा जिसकी नाप का प्रार्थना पत्र था उससे साज कर गया तथा प्रार्थी को दिनांक 06.06.2025 को धमकाया कि यह पैमाईश तो होकर ही रहेगी तुमसे जो होता हो सो कर लो पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को एलानिया धमकी देने पर यदि सायलान की भूमि की पैमाईश करी गई। सायलान की सरसब्ज मौके पर उगी उगाई फसल पूर्णतः नष्ट भ्रस्ट हो जावेगी तथा उसकी पूर्ति भी किसी जरिये नकद से ना हो सकेगी। अतः निवेदन है कि सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता फैसला दावा गैर सायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जावे कि गैर सायलान स्वयं अथवा

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

अपने अधीनस्थों के माध्यम से आराजी मुत0 वर्णित मद संख्या 3 में मजाहमत मदाखलत करने से वर्जित रहे मौके पर खडी फसल सरसब्ज ज्वार,बाजरा,मूंग,अरहर,तिल्ली,ढैंचा आदि को उसमें घूम घूमकर या पैमाईश के नाम पर नष्ट करने से वर्जित रहे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 16.06.2025 को पैरोकार सरकार तहसीलदार डीग की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित है कि पटवारी हल्का श्री अमर सिंह की कोई रंजिश वादीगणों से नहीं है। पटवारी महज अपना लोक सेवक होने के नाते राज्य कार्य सम्पादित करता है इसके अलावा मेरे स्वयं तहसीलदार डीग के विरूद्व इस मद से गलत तथ्य वर्णित किये गये है किसी अन्य खातेदार के खसरा नम्बर की पैमाईश करने से प्रस्तुत वाद के माध्यम से राज्य सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार डीग को रोका नहीं जा सकता है। तहसीलदार राज्य सरकार का प्रतिनिधि है उसको पावंद कराने का कानूनी प्रावधान नहीं है। वादीगणों का मूल विवाद आराजी खसरा नम्बर 1806/0.07 हैक्टे0 के काश्तकारों के मध्य है। जबकि उस खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। मौके पर कोई फसल नहीं है प्रतिवादीगण राज्य सरकार का प्रतिनिधि है इसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा नियमों के विपरीत,गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जमाबन्दी खाता संख्या 170 सम्बत 2073-76 के खसरा संख्या 1801, 1804, 1805, 1807, 1809, 1815, 1817, 1818, 1206/1808, 1208/1816, किता 10 रकबा 1.68 हैक्टे0 में वाके ग्राम कस्वा डीग प्रथम में हिस्सा 1/3 दयानंद पुत्र राज सिंह की खातेदारी में होकर दर्ज रिकार्ड है। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद में खातेदार दयानंद पुत्र राज सिंह को किसी भी हैसियत से पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जोकि आवश्यक है न ही खातेदार दयानंद की स्थिति के बारे में कोई भी तथ्य वादपत्र में दर्ज नहीं किया गया है। सीमाज्ञान बर्षाकाल एवं खडी फसल में नहीं किया जाता है,नियमानुसार सीमाज्ञान मई,जून माह में ही किया जा सकता है। उक्त समय में यदि भूमिधारी तहसीलदार को पैमाईश न करने हेतु पावंद किया जाता है तो पैमाईश करवाने वाले काश्तकार के अधिकारों का हनन है जोकि न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण/सायलान के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, पर दिनांक 18.06.2025 को वकील सायलान व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

<u>प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :-</u> वकील सायलान का कथन रहा कि आराजी खसरा नम्बरान 1797/0.13, 1798/0.05, 1799/0.12,1800/0.08,1801/0.16,1802/0.29,1803/0.11,2205/1808/0.02, 2207/1816/0.05, 1804/0.07, 1805/0.15, 1807/0.30, 1809/0.27, 1815/0.12, 1817/0.05, 1818/0.07, 2206/1808/0.30,2208/1816/0.19,वाके कस्बा डीग प्रथम तहसील डीग में स्थित है, सायलान के द्वारा ज्वार,बाजरा,मूंग,तिल,अरहर व ढैंचा की फसल बोई है पर विना सायलान को जानकारी दिये ही नियम विरूद्व पैमाईश कराई गई। गैर सायलान पैरोकार सरकार तहसीलदार डीग के द्वारा बहस में कथन रहा कि प्रस्तुत वाद के माध्यम से राज्य सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी तहसीलदार डीग को रोका नहीं जा सकता है। तहसीलदार राज्य सरकार का प्रतिनिधि है उसको पावंद कराने का कानूनी प्रावधान नहीं है। वादीगणों का मूल विवाद आराजी खसरा नम्बर 1806/0.07 हैक्टे0 के काश्तकारों के मध्य है। जबकि उस खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया। मौके पर कोई फसल नहीं है प्रतिवादीगण राज्य सरकार का प्रतिनिधि है इसके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु दावा नियमों के विपरीत,गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। जमाबन्दी खाता संख्या 170 सम्बत 2073-76 के खसरा संख्या 1801, 1804, 1805, 1807, 1809, 1815, 1817, 1818, 1206/1808, 1208/1816, किता 10 रकबा 1.68 हैक्टे0 में वाके ग्राम कस्बा डीग प्रथम में हिस्सा 1/3 दयानंद पुत्र राज सिंह की खातेदारी में होकर दर्ज रिकार्ड है। वादीगणों द्वारा प्रस्तुत वाद में खातेदार दयानंद पुत्र राज सिंह को किसी भी हैसियत से पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जोकि आवश्यक है न ही खातेदार दयानंद की स्थिति के बारे में कोई भी तथ्य वादपत्र में दर्ज नहीं किया गया है। सीमाज्ञान

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

बर्षाकाल एवं खडी फसल में नहीं किया जाता है,नियमानुसार सीमाज्ञान मई,जून माह में ही किया जा सकता है। उक्त समय में यदि भूमिधारी तहसीलदार को पैमाईश न करने हेतु पावंद किया जाता है तो पैमाईश करवाने वाले काश्तकार के अधिकारों का हनन है जोकि न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को सुनने के बाद प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सायलान के पक्ष में न होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

सुविधा का संतुलन :- उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया केस गैर सायलान के पक्ष में प्रमाणित हुआ है। मुताविक राजस्व रिकार्ड अनुसार सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को प्रमाणित किये जाने में असफल रहे है तथा तथ्यों के विपरीत वाद/प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन का बिन्दु सायलान के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में बखूबी प्रमाणित है।

अपूर्णीय क्षति :- बहस उभय पक्षकार की बहस का मनन करने व राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह सावित हुआ कि सायलान मुताविक राजस्व रिकार्ड स्थगन प्राप्त किये जाने का हकदार प्रतीत नहीं है तथा सायलान के हक प्रभावित नहीं होना प्रतीत है। ऐसी स्थिति में विना किसी ठोस आधार के किसी पक्षकार को स्थगन आदेश से अनावश्यक रूप से पावंद किया जाना न्यायोचिज नहीं है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीनीय क्षति सायलान के पक्ष में ना होकर गैर सायलान के पक्ष में प्रतीत है।

प्रथम द्रष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति सिद्व करने में सायलान असफल रहे है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट को इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, राजस्व रिकार्ड से सावित नहीं होने तथा तथ्यों के विपरीत होने व मैण्टेनेबिल नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner